राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

-:: निर्णय ::-

नेमीचन्द सांखला : बनाम : राज. राज्य व अन्य

एकल पीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या 448/2005

* * * * *

निर्णय दिनांक : 16 अगस्त 2005

-: उपस्थित :-

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्णकुमार आचार्य

याची के अधिवक्ता श्री बी.सी.पारख एवं
श्री पी.एस.भाटी,
जन अभियोजक श्री जे.पी.एस.चौधरी,
अयाची सं.२ के अधिवक्ता श्री पी.के.भंसाली।

* * * * *

न्यायालयद्वारा :

यह विविध याचिका धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत अभियुक्त नेमीचन्द सांखला की ओर से प्रस्तुत की गई है और अभियुक्त-याची के विरूद्ध इस्तगासा संख्या 2417/2004, जो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आर्थिक अपराध, जोधपुर के न्यायालय में लम्बित है, उसमें अभियुक्त के विरूद्ध लिए गए प्रसंज्ञान आदेश को निरस्त करने की इस्तदुआ की।

याचिका पेश होने पर अयाचीगण को नोटिस दिए गए और ग्रहणार्थ प्रक्रम पर ही दोनों पक्षों को सुना गया।

योग्य अभिभाषक याची का इस प्रकरण में मुख्य तर्क यही रहा कि इस प्रकरण में कथित चेक 6,00,000/- का दिनांक 21.9.03 को अभियुक्त द्वारा दिया जाना बताया है वह तेजपारस एसोसिएट्स एण्ड एक्सपोर्टस (प्रा) लि. के डाईरेक्टर की हैसियत से दिया गया है। एकाउण्ट पेयी चेक था, जो मुस्तगीसा को देना बताया। जबकि उनका तर्क है कि यह इस्तगासा कम्पनी के विरूद्ध नहीं किया गया है न अभियुक्त को बतौर डाईरेक्टर ही बताया गया है, नेमीचन्द सांखला के विरूद्ध ही यह इस्तगासा पेश किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रदर्श पी.1 चेक के अनादरित होने नोटिस प्रदर्श पी.3 नेमीचन्द सांखला को दिया गया है और कम्पनी के डाईरेक्टर को नहीं दिया गया है न ही उसे डाईरेक्टर की हैसियत से मुल्जिम बनाया गया है। अत: उनका तर्क है कि अभियुक्त-याची के विरूद्ध जो प्रसंज्ञान लिया गया है वह गलत है और जो भी कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में चल रही है उसे अपास्त किया जावे। उन्होंने अपने तर्क समर्थन में कम्पनी केसेज (वोल्यूम 107) (आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय) पृष्ठ 474 (डी.चन्द्रा रेड्डी बनाम गौरीसेट्टी प्रभाकर वगै.) पर आए विनिश्चय पेश किया और तर्क किया कि जो भी प्रसंज्ञान आदेश है उसे निरस्त किया जावे और जो भी कार्यवाही इस्तगासे में चल रही है उसे समाप्त की जावे।

इसके अलावा योग्य अभिभाषक याची का यह भी तर्क रहा कि जहां रेकर्ड के अनुसार आरोप लगना सम्भव नहीं हो, ऐसे मामले में अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाना चाहिए ताकि अनावश्यक न्यायालय का समय

खराब नहीं हो। इस सम्बन्ध में उन्होंने जे टी 1996 (7) सुप्रीम कोर्ट 6 (श्री सतीश मेहरा बनाम देहली एडमिनिस्ट्रेशन वगै.) एवं (2000) 6 सुप्रीम कोर्ट केसेज 338 (स्टेट ऑफ एम.पी. बनाम मोहनलाल सोनी) विनिश्चय पेश किए। उन्होंने मुस्तगीसा के बयान, नोटिस व अन्य दस्तावेजात की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और तर्क किया कि अभियुक्त-याची के विरूद्ध व्यक्तिगत हैसियत से जो इस्तगासा पेश किया गया है उसे अपास्त किया जावे क्योंकि चेक कम्पनी के डाईरेक्टर की हैसियत से दिया गया है और कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

योग्य अभिभाषक अयाची संख्या 2 की तरफ से बहस का मुख्य सारांश यही रहा कि अभियुक्त द्वारा अपने व्यवसाय के कार्य हेतु रकम की आवश्यकता होने से परिवादी से 6,10,000/- लिए थे। परिवादिया ने मुल्जिम की दुकान/फर्म पर कई बार कृषि जिन्स बेचान हेतु भेजे जिनको बेचकर मुल्जिम ने परिवादिया को समय समय पर बेची गई जिन्स का भुगतान किया। दिनांक 1.9.2001 को मुल्जिम ने अपने व्यावसायिक कार्य हेतु रकम की आवश्यकता होने से परिवादिया से 6,10,000/- उधार लिए जिसकी रसीद की ओर ध्यान आकर्षित किया और तर्क किया कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 21.9.03 को 6,00,000/- का चेक दिया गया जो बैंक में जमा कराया जो 26.9.03 को बिना भुगतान के वापस आ गया। दिनांक 1.10.03 को रजिस्टर्ड नोटिस भी दिया गया किन्तु अभियुक्त द्वारा कोई रकम की अदायगी नहीं की की गई, इस पर यह इस्तगासा पेश किया। योग्य अभिभाषक अयाची सं.2 ने 1.9.02 की रसीद की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उनका यह भी तर्क रहा कि प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया था, उसके बाद

जुर्म का सारांश भी सुनाया गया। मुस्तगीसा की पूरी साक्ष्य हो चुकी है और धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत पत्रावली बयान मुल्जिम के लिए लगाई गई है। इस प्रकार इस देरीना स्टेज पर जहां ट्रायल पूरी हो चुकी हो, धारा 482 दं.प्र.सं. की शक्तियां इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। उनका यह भी तर्क रहा कि कम्पनी या डायरेक्टर को भी अलग से पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने तर्क समर्थन में कम्पनी केसेज (वोल्यूम 125) (सुप्रीम कोर्ट) पृष्ठ 188 (एस.वी.मुजुमदार वगै. बनाम गुजरात राज्य फर्टीलाईजर कं. लि. वगै.) विनिश्चय पेया किया और तर्क किया कि यह प्रश्न ट्रायल के बाद ही अन्तिम स्टेज पर तय किया जाना चाहिए। उनका यह भी तर्क रहा कि ट्रायल के दौरान इस प्रकरण में दो लाख रूपए भी अदा किए गए हैं।

मेरे द्वारा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत विनिश्चयों का आदर पूर्वक अवलोकन किया गया।

योग्य अभिभाषक याची द्वारा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का जो विनिश्चय पेश किया है उसमें यह सिद्धान्त दिया गया है कि धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के लिए आवश्यक है कि जिस व्यक्ति द्वारा चेक दिया गया, अपने खाते के सम्बन्ध में ही दिया जाना चाहिए था और उस खाते में बैंक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। यदि चेक कम्पनी की ओर से दिया गया है और इस्तगासे में ऐसे कोई भी अभिवचन नहीं है कि चेक बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर की ओर से दिया गया था और यदि व्यक्तिगत हैसियत से दिया गया है तो यह नहीं माना जा सकता कि प्रार्थी ने अपने व्यक्तिगत खाते में यह चेक दिया हो और इस

आधार पर धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रकरण नहीं चल सकता है। उस प्रकरण में भी अभियुक्त को बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर या कम्पनी के अधिकारी की हैसियत से अभियुक्त नहीं बनाया गया था, उसके व्यक्तिगत नाम से दावा किया गया था। अभियुक्त ने अपने व्यक्तिगत खाते में से कोई चेक नहीं दिया था, इस आधार पर यह प्रकरण समाप्त किया गया।

इसी प्रकार योग्य अभिभाषक याची द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के जो विनिश्चय चार्ज की स्टेज पर क्या रेकर्ड देखा जाना चाहिए, इस सम्बन्ध में पेश किए हैं, उन्हें मैं आदर पूर्वक स्वीकार करता हूं कि चार्ज के समय यह देखा जाना चाहिए कि यदि साक्ष्य से सजा होना सम्भव नहीं हो तो अनावश्यक ट्रायल किया जाना उचित नहीं है, यदि प्रथम दृष्टया कोई केस बनना नहीं पाया जावे तो अभियुक्त को डिसचार्ज किया जाना चाहिए।

इसके विपरीत योग्य अभिभाषक अयाची सं.2 की ओर से जो विनिश्चय माननीय उच्चतम न्यायालय का पेश किया है, उसका भी मेरे द्वारा सादर अवलोकन किया गया। एस.वी.मुजुमदार वगै. बनाम गुजरात राज्य फर्टीलाईजर कं. लि. वगै. (उपरोक्त) वाले प्रकरण के पैरा 8 से 11 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो सिद्धान्त दिए है, निम्न प्रकार है:

> "8. We find that the prayers before the courts below essentially were to drop the proceedings on the ground that the allegations would not constitute a foundation for action in terms of section 141 of the Act. These questions have to be adjudicated at the trial. Whether a person is in charge of or is responsible to the company for conduct of business is to be adjudicated on the basis of materials to be placed by the parties. Sub-section (2) of section 141 is deeming provision which as noted supra operates in certain specified circumstances. Whether the requirements for the application of the deeming provision exist or not is again

a matter for adjudication during trial. Similarly, whether the allegations contained are sufficient to attract culpability is a matter for adjudication at the trial.

9. Under the scheme of the Act, if the person committing an offence under section 138 of the Act is a company, by application of section 141 it is deemed that every person who is in charge of and responsible to the company for conduct of the business of the company as well as the company are guilty of the offence. A person who proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence is exempted from becoming liable by operation of the proviso to sub-section (1). The burden in this regard has to be discharged by the accused.

10. The three categories of persons covered by section 141 are as follows :

(1) The company who committed the offence.
(2) Everyone who was in charge of and was responsible for the business of the company.
(3) Any other person who is a director or a manager or a secretary or officer of the company with whose connivance or due to whose neglect the company has committed the offence.

11. Whether or not the evidence to be led would establish the accusations is a matter for trial. It needs no reiteration that proviso to sub-section (1) of section 141 enables the accused to prove his innocence by discharging the burden which lies on him.

मेरे द्वारा दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया गया। योग्य अभिभाषक याची का यह तर्क कि यह चेक बतौर कम्पनी के डायरेक्टर की हैसियत से दिया गया था और उसे व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया गया है, इस प्रकार धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी प्रकरण नहीं चल सकता क्योंकि चेक जो भी दिया गया है वह कम्पनी के डायरेक्टर की हैसियत से दिया गया है और कम्पनी को या डायरेक्टर को पक्षकार नहीं बनाया गया है और इस सम्बन्ध में इस

सम्बन्ध में उन्होंने आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के विनिश्चय डी.चन्द्रा रेड्डी बनाम गौरीसेट्टी प्रभाकर वगै. (उपरोक्त) पेश किया है। जबकि योग्य अभिभाषक अयाची सं.2 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय एस.वी.मुजुमदार वगै. बनाम गुजरात राज्य फर्टीलाईजर कं. लि. वगै. (उपरोक्त) पेश किया है और जिसमें यह सिद्धान्त दिया गया है कि ऐसे प्रकरणों में जहां कार्यवाही ड्रोप या समाप्त करने की इस्तदुआ की जाती हो कि कोई भी धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अपराध नहीं बनेगा और धारा 141 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत आधार अपराध करने के सम्बन्ध में बताए गए हैं, उसके कोई सुदृढ़ आधार नहीं है, ये तमाम बातें अन्वीक्षा से ही साक्ष्य लेने के बाद तय हो सकेगी। उस प्रकरण में यह प्रश्न उठा था कि कम्पनी के कार्यो के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार हो सकता था और किस व्यक्ति के विरूद्ध अभियोग चलाना चाहिए। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 141 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए यही सिद्धान्त दिया कि धारा 141 के प्रावधानों के लिए न्यायालय में साक्ष्य लेने के बाद ही अन्तिम स्टेज पर इस बिन्दु पर निर्णय किया जा सकता है।

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत विनिश्चयों के अवलोकन के बाद इस प्रकरण के तथ्यों पर आवें। इस प्रकरण में यह स्वीकृतशुदा स्थिति है कि यह इस्तगासा अभियुक्त नेमीचन्द सांखला के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है और इस्तगासे में अवश्य यह तथ्य आया है कि अभियुक्त नेमीचन्द सांखला द्वारा 1.9.01 को अपने व्यावसायिक कार्य हेतु 6,10,000/- उधार लिए थे और उसकी रसीद भी उसके हक में दी थी और रकम मांगने पर 21.9.03 को 6,00,000/- का चेक अभियुक्त ने विजया बैंक, स्टेशन रोड, जोधपुर का परिवादिया को दिया, जो चेक अनादरित होकर आया और नोटिस देने के

बाद भी रकम नहीं दी है। इस्तगासा पेश होने पर दिनांक 26.2.04 को प्रसंज्ञान लिया गया। इस चेक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होना बताए हैं जो वास्ते तेजपारस एसोसिएट्स एण्ड एक्सपोर्टस (प्रा.) लि. के डायरेक्टर की हैसियत से किए हुए हैं। मुस्तगीसा के भी बयान हुए हैं और मुस्तगीसा ने अपने बयानो में कहा है कि अभियुक्त नेमीचन्द सांखला को जानती है जो तेज पारस के नाम से व्यवसाय करता है और उन्हें पैसों की जरूरत होने पर 6,10,000/- रोकड दिए थे। रूपए वापस मांगने पर 6,00,000/- का चेक उपरोक्त उधार पेटे प्रदर्श 1 दिया। इसने जिरह में स्वीकार किया है कि उसने तेज पारस एसोसिएटस एवं एक्सपोर्टस (प्रा.) लि. को नोटिस नहीं दिया, नेमीचन्द को ही नोटिस दिया था, कम्पनी को इस परिवाद में पक्षकार नहीं बनाया है और नेमीचन्द को भी डायरेक्टर की हैसियत से मुल्जिम नहीं बनाया है। उपरोक्त आधार पर यह कार्यवाही ड्रोप करने एवं प्रसंज्ञान के आदेश को अपास्त करने की इस्तदुआ की गई।

प्रकरण में तमाम रेकर्ड देखने से यह सही है कि इस प्रकरण में नेमीचन्द सांखला के विरूद्ध व्यक्तिगत हैसियत से इस्तगासा पेश किया गया है बतौर डायरेक्टर उसके विरूद्ध इस्तगासा पेश नहीं किया गया है न ही कम्पनी को कोई पक्षकार बनाया गया है। मगर इस प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान 26.2.04 को लिया गया था और प्रसंज्ञान लेने के बाद अभियुक्त को तलब किया है और तत्पश्चात् रेकर्ड के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अभियोजन पक्ष की तमाम साक्ष्य ली जा चुकी है और अभियुक्त के बयान मात्र इस प्रकरण में होने हैं। ऐसे प्रकरणों का निस्तारण जहां पूरी ट्रायल हो चुकी हो, मात्र कानूनी बिन्दु के आधार पर कि चेक डायरेक्टर की हैसियत से दिया गया था और व्यक्तिगत रूप से इस्तगासा पेश किया गया है, मात्र इस आधार पर इस्तगासा को खारिज कर दिया जावे या

कार्यवाही ड्रोप कर दी जावे, कतई न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अभियुक्त को ऐसा एतराज इस्तगासा पेश होते ही प्रसंज्ञान की स्टेज पर लिया जाना चाहिए था। प्रसंज्ञान के आदेश को कभी भी इस आधार पर पूर्व में चुनौती नहीं दी गई। प्रकरण में मुस्तगीसा की तमाम साक्ष्य ली जा चुकी है, मात्र बयान मुल्जिम ही होने शेष रहे हैं।

उक्त परिस्थितियों को देखते हुए इस देरीना स्टेज पर धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत प्रसंज्ञान के आदेश को अपास्त किया जाना या इस्तगासे की कार्यवाही को ड्रोप किया जाना कतई उचित नहीं है। यह भी बताया गया है कि दो लाख रूपए का भुगतान भी किया गया है, मगर इस बिन्दु पर इस स्टेज पर मैं जाने की आवश्यकता नहीं समझता। इस प्रकरण में 6,10,000/- अभियुक्त-याची द्वारा उधार लेना बताया है और चेक भी दिया जाना बताया गया है। इस तकनीकी आधार पर कि यह चेक कम्पनी के नाम से दिया गया और अभियुक्त की व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है अथवा नहीं, ये तमाम प्रश्न साक्ष्य लिए जाने के बाद अन्तिम स्टेज पर ही देखे जा सकते हैं। अभियुक्त के व्यक्तिगत नाम से खाता है अथवा नहीं, इसकी भी साक्ष्य आनी है। इस स्टेज पर उपरोक्त बिन्दु पर दोनों पक्षों द्वारा जो भी विनिश्चय पेश किए गए हैं, उन पर कोई भी गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना प्रकरण की स्टेज को देखते हुए, मात्र इस तकनीकी आधार पर जो भी कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में चल रही है, उसे अपास्त किए जाने के उचित आधार नहीं पाता। प्रकरण में तमाम साक्ष्य ली जा चुकी है, अभियुक्त के बयान होने शेष है, इस परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुए जो भी कानूनी एतराज है, अभियुक्त अन्तिम स्टेज पर या अपनी बरीयत में उठा सकता है और दोनों पक्षों को सुनकर अधीनस्थ न्यायालय इन बिन्दुओं को तय करने में स्वतंत्र होगा।

उपरोक्त प्रकार से, इस याचिका में मैं कोई बल नहीं पाता, जो उक्त कमेण्ट्स के साथ खारिज की जाती है।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार आचार्य)